प्रकीर्ण न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी सिमडेगा

गै०

[निलामी का दे रक्षणीय]

[बोर्ड के आदेश नं० ४११६ दि० ता० १२-८-११ में अनुमोदित]

Notice upload 15/02/2018

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण ।

दिवा- विभाग

SAR Case No. 27/14-15 अभिलेख सं०

अंजलुस डुंगडुंग वगैरह सलडेगा बनाम अनिल मुंडा वगैरह सलडेगा

CNT Act U/S 71A

		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		३	४	५	६	७
		25.8.14			23.1.19 27.2.19 29.5.19 17.6.19 11.9.19 19.11.19 15.4.20 10/2/2021 24/3/2021 16-6-2021 15/9/2021 24/11/21 9/2/22 15/3/22 8/7/22 23/8/22 30.8.22 22.11.22	5.4.17 3.5.17 5.6.17 5.7.17 9.8.17 6.9.17 [illegible]11.17 13.12.17 24.1.18 28.2.18 4.4.18 16.5.18 27.6.18 8.8.18 24.10.18 12.12.18 16-01-019

आदेश--पत्रक

(देखें नियम 129 अभिलेख हस्तक) अंजलुस डुंग डुंग वगै०

आदेश पत्रक--ता0............................से ....तक ।

जिला–सिमडेगा, संख्या.... SAR 27/2014-15

केस का प्रकार:– बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 बनाम गोलेन मुण्डा वगै०

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
25-8-2014	श्री... अंजलुस डुंग डुंग वगै० इमिल डुंग डुंग पिता... दोनों पिता स्व० ऑयोर डुंग डुंग साकिन.... सलडेगा ......थाना... सिमडेगा जिला–सिमडेगा ने आवेदन–पत्र दिया है कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी... गोलेन मुण्डा वगै० विश्राम मुण्डा दोनों पिता स्व० मोदो सुन्दर मुण्डा साकिन– सलडेगा ....थाना... सिमडेगा जिला–सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं। ग्राम: सलडेगा — खाता सं0: 87 — प्लॉट सं0: 104 — रकबा: 1.64 एकड़ में से 1.04 एकड़ उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक 12-9-2014 को उपस्थापित करें। (हस्ताक्षर) 8 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।	A 3-10.14 ~~26.10.16~~ 23.11.16 21-12-16 18.1.17 15-2-17 8.3.17

Scanned with CamScanner

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं0–एस0ए0आर0 27/2014–15
दिनांक............................

अंजलुस डुंगडुंग वगै0
बनाम
जोलेन मुण्डा वगै0

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक अंजलुस डुंगडुंग वगै0, पिता–स्व0 डोयोर डुंगडुंग, साकिन–सलडेगा, थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी जोलेन मुण्डा वगै0, पिता–स्व0 मोदी सुन्दरा मुण्डा, साकिन–सलडेगा मोदीटोली, थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत् वापस दिलवाने का अनुरोध किया हैं। वाद सं0–27/2014–15 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैः–

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
सलडेगा	87	104	1.64 एकड़ में से 1.04 एकड़

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, सिमडेगा को इस न्यायालय के पत्रांक 366(ii)/विधि, दिनांक 25.08.2014, पत्रांक–148/विधि, दिनांक 19.04.2015, पत्रांक–213/विधि, दिनांक 02.06.2016 एवं पत्रांक–358/विधि, दिनांक 23.09.2016 द्वारा उपर्युक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचलाधिकारी, सिमडेगा के द्वारा प्रतिवेदन अप्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। दिनांक 23.07.2016 से 06.09.2017 एवं 13.11.2019 से अबतक उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्ष व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि नहीं हैं। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का हैं। ऐसे स्थिति में वाद सं0–27/2014–15 को संचिकास्त किया जा सकता हैं। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2022.10.13 17:36:35 +05:30
Location: 192.168.202.80

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

अनुमण्डल दण्डाधिकरी
सिमडेगा।

Scanned with CamScanner